

संशोधित सत्रांक प्रपत्र

(केवल सत्र 2020-21 हेतु)



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा 2021 के नियमित परीक्षार्थियों के सत्रांक विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन भरने बाबत निर्देश

सत्रांक योजना के अन्तर्गत बोर्ड की उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/ व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा में प्रत्येक विषय के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। नियमित परीक्षार्थियों के लिए सत्रांकों का निर्धारण निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश दिनांक 08.12.2020 के अनुसार किया जाये। आपके विद्यालय के जिन नियमित परीक्षार्थियों ने उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/ व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा- 2021 हेतु परीक्षा आवेदन-पत्र भरा है उनके सत्रांक आपके द्वारा ऑनलाईन भरे जाने हैं, बोर्ड द्वारा पृथक से OMR (ओ.एम.आर.) शीट्स नहीं भिजवाई जायेगी। विद्यालय बोर्ड वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर "Online Sessional Main Exam-2021" लिंक पर अपना विद्यालय कोड व ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दिया गया पासवर्ड डालकर परीक्षार्थियों के नामांक के सम्मुख उनके विषयवार सत्रांक भरेंगे। पासवर्ड भूल जाने पर बोर्ड की आई.टी.शाखा में विद्यालय कोड व शाला प्रधान का मोबाईल नम्बर नोट करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

अंकसूचियाँ/ ऑनलाईन सत्रांक भेजने से पूर्व की प्रक्रिया

- निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 08.12.2020 द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अध्ययन की निरन्तरता प्रायोगिक कार्य कक्षोन्नति एवं परीक्षा/आकलन हेतु केवल सत्र 2020-21 के लिए निर्देश जारी किये हैं। इनके अनुसार :-
 - सत्र 2021-21 हेतु बोर्ड पाठ्यक्रम का संक्षिप्तिकरण किया गया है जो कि बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। वार्षिक/बोर्ड परीक्षा इसी संशोधन पाठ्यक्रम आधारित होगी।
 - कक्षोन्नति का आधार वार्षिक/बोर्ड परीक्षा ही होगा।
 - परीक्षा हेतु 20 प्रतिशत अंक आन्तरिक मूल्यांकन के एवं 80 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के निर्धारित हैं। (प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त)
 - बोर्ड परीक्षा हेतु 20 प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन के अंक का आधार विद्यार्थी द्वारा संधारित गृहकार्य पुस्तिका होगी।
 - कक्षा 11 एवं 12 के प्रायोगिक विषयों में यह गृहकार्य आधारित आन्तरिक मूल्यांकन निर्धारित प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त, शेष अंकों का 20 प्रतिशत होगा। (जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल में 14 चित्रकला, संगीत में 6 अंक)
- विद्यालयी परीक्षा की अंकसूचियों में प्रदत्त नामांक व बोर्ड द्वारा छात्र को प्रदत्त नामांक, नाम अनुसार अंक मूल अंक सूची में शुद्धता से अंकित किये जाये। गत वर्षों में देखने में आया है कि एक ही नाम के दो छात्र होने पर उनके सत्रांक एक दूसरे के परस्पर बदल कर लिख दिए गये। अतः इसका विशेष ध्यान रखें, ऐसी त्रुटि होने से छात्रों का परीक्षा परिणाम प्रभावित होता है।
- बिन्दु संख्या 2 की जाँच दो शिक्षकों द्वारा कराई जाने के बाद ऑनलाईन सत्रांक भरें।
- ऑनलाईन सत्रांक भरने के पश्चात् इसका अप्रुब्ड प्रिन्ट निकालकर प्रधानाचार्य अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इसे बोर्ड को नहीं भिजवाना है।
- अंकों की प्रविष्टि करने से पूर्व सम्बन्धित विवरणिका में अंकित योजना व पूर्णांकों एवं न्यूनतम उत्तीर्णांकों की सूची को कृपया पुनः ध्यान से देखें तथा आश्वस्त हो लें कि, अंक उस विषय की गृहकार्य पुस्तिका के मूल्यांकन के आधार पर ही दिये गये हैं। (निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के केवल सत्र 2020-21 के लिए जारी निर्देश अनुसार।)
- जिस शिक्षण संस्था से परीक्षार्थी का आवेदन पत्र परीक्षा में बैठने हेतु अग्रेषित किया गया है, उसके प्रधान ही उसके सभी अंक भेजने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। यदि आपके यहाँ ऐसा विद्यार्थी जो राजस्थान के किसी अन्य विद्यालय से स्थानान्तरित होकर आने के बाद आपके यहाँ अध्ययनरत है तो पूर्व शाला से सत्रांक प्राप्त कर बोर्ड को प्रेषित करावे तथा ऑन लाईन भरे। (ध्यान रहे बोर्ड नियमानुसार परीक्षार्थी का शाला/केन्द्र परिवर्तन करवा लिया गया हो तो यथानुसार कार्यवाही करें)।

7. किसी भी अवस्था में ऑनलाईन अंकसूची में किसी नामांक के लिये कोई भी कॉलम रिक्त नहीं छोड़ा जाए। यदि छात्र ने किसी विषय विशेष/तृतीय भाषा में स्वअध्ययन किया है तो उस विषय के कॉलम में ऑनलाईन भरते समय NOT APPLICABLE लिखा जावे। शाला से नाम पृथक (NSO) एवं उपस्थिति न्यूनता के कारण बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने से रोके गये (DETAIN) परीक्षार्थियों के ऑनलाईन सत्रांक प्रेषण के समय सभी विषयों में अनुपस्थित (ABSENT) दर्ज करना है। **NOT APPLICABLE** केवल विषय परिवर्तन/स्वअध्ययन की स्थिति में ही दर्ज करना है। ऐसे विषय के सत्रांक/स्वअध्ययन की सूचना पृथक से पत्र द्वारा प्रमाणित कर बोर्ड को अनिवार्य रूप से यथा समय सूचित करना है। इसके अभाव में परीक्षार्थी का परिणाम उस विषय के सत्रांक में अनुपस्थित अंकित कर घोषित कर दिया जायेगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आप शाला प्रधान की रहेगी।
- केवल सत्र 2020-21 के लिए कोविड-19 के परिपेक्ष्य में उपस्थिति गणना के संबंध में शिक्षा विभागीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे एवं तदनुसार कार्यवाही की जावे।
8. (i) श्रेणी सुधार (कैटेगरी-2) में प्रविष्ट परीक्षार्थियों के XII-समाज सेवा योजना (विषय कोड 78), XII – आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग दो (विषय कोड 79), X-राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, (विषय कोड 79) FOIT (विषय कोड 80), शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (विषय कोड 82)] SUPW & CS (विषय कोड 81), कला शिक्षा (विषय कोड 83) के अंक एवं ग्रेड प्रविष्ट नहीं करने है।
- (ii) नियमित छात्र के रूप में गत वर्षों में प्रविष्ट होकर अनुत्तीर्ण रहे अथवा श्रेणी सुधार हेतु पुनः प्रविष्ट हो रहे छात्र यदि पुनः नियमित छात्र के रूप में प्रविष्ट हो रहे हों तो कृपया उनके सत्रांक भी उपरोक्त योजनानुसार ही भेजें।
9. वर्तमान परिस्थिति के कारण वर्ष 2021 की परीक्षाओं के सत्रांक प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित :-

क्र. सं.	श्रेणी	प्रक्रिया	विलम्ब शुल्क/शास्ति प्रति परीक्षार्थी संशोधन सहित	अधिकतम शास्ति राशि प्रति विद्यालय संशोधन सहित
1	2	3	4	5
1.	प्रथम बार – 08 दिवस की अवधि में	पोर्टल से	अनुमति नहीं	अनुमति नहीं
2.	तिथि विगत होने के बाद परिणाम घोषणा हेतु डाटा लॉक करने तक। चाहे सम्पूर्ण सत्रांक नहीं भरे हो या आंशिक अथवा किसी विषय विशेष के नहीं भरे हों (ग्रेडिंग सहित)।	कार्यालय में व्यक्तिशः शास्ति शुल्क जमा कराकर	रु. 150/- प्रति परीक्षार्थी	रु. 15,000/- प्रति विद्यालय प्रति परीक्षा
3.	परिणाम की तैयारी हेतु डेटा लॉक करने के बाद प्राप्त प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा परिणाम घोषणा के बाद नियमान्तर्गत कार्यवाही की जावेगी परन्तु ऐसे प्रकरणों (विषय कोड-79 विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन को छोड़कर) में अनुपस्थित मानकर परिणाम घोषित कर दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेवारी शाला प्रधान रहेगी।			

नोट:-

1. प्रथम बार डेटा लॉक करने से पूर्व विद्यालय एक बार संशोधन विद्यालय स्तर पर ऑनलाईन कर सकेगा उसके पश्चात् संशोधन बिन्दु संख्या 2 के अनुसार उल्लेखित अवधि में ही संशोधन कर सकेगा।
2. एक बार सत्रांक दर्ज करने के बाद किसी एक विषय/सम्पूर्ण विषय/ग्रेडिंग में संशोधन किये जाने पर प्रति परीक्षार्थी कॉलम संख्या 4 में अंकित शुल्क ही लिया जावेगा।
3. परीक्षार्थी के एक से अधिक विषय के सत्रांक/ग्रेडिंग बकाया है तो कॉलम 04 में अंकित प्रति परीक्षार्थी शुल्क ही लिया जावेगा।
4. प्रस्तावित तिथियों/अवधि/प्रक्रिया में माननीय अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से संशोधन किया जा सकेगा।

उच्च माध्यमिक/वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिये सत्रांक योजना

- (1) बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांको के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। जैसे बोर्ड परीक्षा में किसी विषय के 100, 70, 50, या 30 पूर्णांक सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं तो सत्रांक हेतु पूर्णांक क्रमशः 20, 14, 10 या 6 निर्धारित होंगे।
- (2) उच्च माध्यमिक एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं में नियमित रूप से प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों के लिये समाज सेवा योजना (विषय कोड-78) विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन अनिवार्य विषय हैं। इस विषय का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर गृहकार्य पुस्तिका/कोविड-19 के परिपेक्ष्य में स्वास्थ्य जानकारी, बचाव योगदान, सामाजिक क्षेत्र में चेतना उत्पन्न करने में किये गये प्रयास/प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर ही किया जाना है। समाज सेवा योजना विषय के पूर्णांक 100 रहेंगे तथा प्राप्तांकों को निम्न सारणी अनुसार ग्रेड में परिवर्तित कर ग्रेड भरनी है।

समाज सेवा योजना – विषय कोड – 78

प्राप्तांक	ग्रेड
80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक	ए(A)ग्रेड
60 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक	बी(B)ग्रेड
50 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक	सी(C)ग्रेड
50 प्रतिशत से नीचे	डी(D)ग्रेड

समाज सेवा योजना की ग्रेडिंग एवं आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 (विषय कोड-79) के अर्जित अंको को अनिवार्य रूप से ऑनलाईन भरें अन्यथा छात्र का परिणाम रोक लिया जायेगा। आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 (79) का मूल्यांकन कराये गये शिक्षण कार्य, प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। **विषय कोड-79 आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग-2 के पूर्णांक 100 होंगे एवं इसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है यदि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में इस विषय में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी पुनः परीक्षा लेकर अंक भिजवाये जाने हैं।**

- (3) वाणिज्य वर्ग के विषय कोड (32) हिन्दी शीघ्र लिपि, (33) अंग्रेजी शीघ्र लिपि तथा (34) व (35) टंकण लिपि हिन्दी व अंग्रेजी में सत्रांक विषयवार निर्धारित नहीं है अपितु इन्हें प्रश्न-पत्र वार अलग-अलग भेजना है जिसके लिए सत्रांक कोड निम्नानुसार है:-

(1) हिन्दी शीघ्रलिपि	– पेपर कोड 32/3	} प्रत्येक पेपर के सत्रांक के पूर्णांक 10 होंगे।
(2) हिन्दी टंकणलिपि	– पेपर कोड 34/3	
(3) अंग्रेजी शीघ्रलिपि	– पेपर कोड 33/3	
(4) अंग्रेजी टंकणलिपि	– पेपर कोड 35/3	
(5) टंकण लिपि हिन्दी	– पेपर कोड 34/3	
(6) टंकण लिपि अंग्रेजी	– पेपर कोड 35/3	

माध्यमिक/प्रवेशिका परीक्षा के लिए सत्रांक योजना

- (1) बोर्ड परीक्षा में सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांकों के 20 प्रतिशत अंक सत्रांक हेतु निर्धारित हैं। जैसे बोर्ड की परीक्षा के 100 पूर्णांक सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु निर्धारित हैं तो सत्रांक हेतु पूर्णांक 20 निर्धारित होंगे।
- (2) राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति (79), फाउण्डेशन ऑफ इनफोर्मेशन टेक्नालोजी (80) तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (82) विषयों में विद्यालय आधारित मूल्यांकन करें। **इन विषयों में परीक्षार्थी द्वारा अर्जित अंक यथावत ऑनलाईन भरे जायेंगे जो अधिकतम 100 हो सकते हैं। विषय कोड (79) में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यदि विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन में इस विषय में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहता है तो उसकी पुनः परीक्षा लेकर अंक भिजवाये जाने हैं।**
- (3) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (81) तथा कला शिक्षा (83) विषयों में विद्यालय द्वारा कराये गये शिक्षण कार्य/प्रोजेक्ट कार्य/गृहकार्य पुस्तिका के आधार पर मूल्यांकन कर ग्रेडिंग देनी है। ग्रेडिंग का निर्धारण बिन्दु संख्या-6 में वर्णित तालिका के अनुसार करें।

(5.A) तालिका (माध्यमिक) :-

क्र.सं.	विषय कोड	विषय	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिए पूर्णांक
1.	01	हिन्दी	100	20
2.	02	अंग्रेजी	100	20
3.	07	विज्ञान	100	20
4.	08	सामाजिक विज्ञान	100	20
5.	09	गणित	100	20
6.	71	संस्कृत	100	20
7.	72	उर्दू	100	20
8.	73	गुजराती	100	20
9.	74	सिन्धी	100	20
10.	75	पंजाबी	100	20
10 A	79	राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति	100	100 } अंकों का 20 प्रतिशत नहीं निकालें अर्थात् 100 में से अर्जित प्राप्तांक ही दर्शाने है
11.	80	सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा – II	100	
12.	82	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	100	
13.	81	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W. & C.S.)	100	प्रक्रिया बिन्दु 6 की तालिका के अनुसार ग्रेडिंग (A/B/C/D/E) देनी है।
14.	83	कला शिक्षा	100	

(5.B) तालिका (प्रवेशिका) :-

क्र.सं.	विषय कोड	विषय	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिए पूर्णांक
1	01	हिन्दी	50	10
2	02	अंग्रेजी	50	10
3	95 I	संस्कृतम् – प्रथम पत्र	100	20
	95 II	– द्वितीय पत्र	100	20
4	07	विज्ञान	100	20
5	08	सामाजिक विज्ञान	100	20
6	09	गणित	100	20
7	79	राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति	100	100 } अंकों का 20 प्रतिशत नहीं निकालें अर्थात् 100 में से अर्जित प्राप्तांक ही दर्शाने है
8	80	सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा – II	100	
9	82	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा	100	
10	81	समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W. & C.S.)	100	प्रक्रिया बिन्दु 6 की तालिका के अनुसार ग्रेडिंग (A/B/C/D/E) देनी है।
11	83	कला शिक्षा	100	

(6) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा (विषय कोड-81) तथा कला शिक्षा (विषय कोड-83) विषयों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। इन विषयों के पूर्णांक 100 रहेंगे तथा अर्जित प्राप्तांकों को निम्नानुसार ग्रेड में परिवर्तित कर ऑनलाईन ग्रेड अंकित की जायेगी।

अंको का प्रतिशत	ग्रेड
81 से 100 प्रतिशत तक	ए (A) ग्रेड
61 से 80 प्रतिशत तक	बी (B) ग्रेड
41 से 60 प्रतिशत तक	सी (C) ग्रेड
21 से 40 प्रतिशत तक	डी (D) ग्रेड
20 प्रतिशत से नीचे	ई (E) ग्रेड

व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा के लिए सत्रांक योजना

व्यावसायिक शिक्षा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय लेवल-2 (कक्षा-10) में जिन परीक्षार्थियों ने अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड विषय का चयन किया है तो उनकी सैद्धान्तिक परीक्षा के अलावा 20 अंक सत्रांक की व्यवस्था है जिनके विषय निम्नानुसार हैं :-

लेवल-2 (कक्षा-10) व्यावसायिक शिक्षा अतिरिक्त वैकल्पिक विषय की परीक्षा योजना :-

केवल चयनित विद्यालयों में लागू

क्र.सं.	विषय कोड	विषय (कोई एक)	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिये पूर्णांक
1.	101	Automotive	100	20
2.	102	Beauty & Wellness	100	20
3.	104	IT & ITES	100	20
4.	105	Retail	100	20
5.	106	Tourism and Hospitality	100	20
6.	107	Security	100	20
7.	108	Apparels Made-UPS & Home Furnishings	100	20
8.	109	Electronics and Hard ware	100	20
9.	110	Agriculture	100	20
10.	111	Plumber	100	20
11.	112	Telecom	100	20

लेवल-4 (कक्षा-12) व्यावसायिक शिक्षा :-

क्र.सं.	विषय कोड	विषय (कोई एक)	कुल पूर्णांक	सत्रांक के लिये पूर्णांक
1.	101	Automobiles	100	20
2.	102	Beauty & Wellness	100	20
3.	103	health care	100	20
4.	104	IT & ITES	100	20
5.	105	Retail	100	20
6.	106	Travel & Toursim	100	20
7.	107	Security	100	20
8.	108	Apparels Made-UPS & Home Furnishings	100	20
9.	109	Electrical & Electronics	100	20
10.	110	Agriculture	100	20

नोट:-

- सैद्धान्तिक परीक्षा-30 अंक (सत्रांक रहित), सैद्धान्तिक परीक्षा-50 अंक (सत्रांक सहित) तथा प्रायोगिक परीक्षा-50 अंक में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- कक्षा-9 व 11 की वार्षिक (सैद्धान्तिक व प्रायोगिक) परीक्षाएँ विद्यालय स्तर से ही आयोजित की जायेंगी तथा परीक्षा परिणाम भी विद्यालय स्तर से जारी किया जायेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रेषित परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक की दो सूची तैयार करेंगे। एक सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य तथा दूसरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करेंगे।
- कक्षा 9 व 11 में संचालित विषयों में प्रविष्ट परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम अपलोड करने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी सम्बन्धित विद्यालयों के लिंक खोले जायेंगे जिससे विद्यालय अपने विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यावसायिक विषय के सत्रांक, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक आदि अपलोड करेंगे जिसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से सम्पर्क कर प्रत्येक लेवल उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थियों हेतु प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे।

शाला प्रधानों हेतु विशेष अनुदेश (केवल सत्र 2020-21 हेतु)

1. सत्रांक के अभाव में (विषय कोड 79 को छोड़कर शेष विषयों में) परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित अंकित कर जारी कर दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी रहेगी।
2. सत्रांकों में यदि कोई त्रुटि बाद में पाई गई तो शाला प्रधान इस हेतु व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। इस हेतु उचित होगा कि आप सभी विषयाध्यापकों को एक साथ प्रशिक्षण देकर सादे कागज पर सत्रांक तैयार करवावें ताकि उनमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होवे।
3. आप द्वारा ऑनलाईन सत्रांक भरने के उपरान्त उनमें रही त्रुटि में सुधार हेतु प्रक्रिया बिन्दु 09 में निर्धारित है। इसके उपरान्त भी संशोधन हेतु सूचना प्राप्त हुई तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर/निदेशक (संस्कृत शिक्षा) जयपुर को भी लिखा जायेगा एवं विभाग द्वारा दोषी पाये जाने पर दोषी व्यक्ति को बोर्ड के सभी पारिश्रमिक कार्यों से भी वंचित कर दिया जावेगा।
4. परिणाम घोषित हो जाने के उपरान्त सत्रांक व ग्रेडिंग में किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टि में आये तो परीक्षार्थी के हित में सत्रांक व ग्रेडिंग में संशोधन पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। इस हेतु संशोधन कराने के लिए आवेदन की तिथियाँ व शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:—
 - (i) प्रति परीक्षार्थी प्रति विषय रू. 200/- सामान्य शुल्क सहित सत्रांक अथवा ग्रेड संशोधन के प्रकरण स्वीकार करने की अंतिम तिथि परिणाम घोषित होने की तिथि से दो माह में।
 - (ii) उक्त बिन्दु-01 की तिथि विगत होने के पश्चात् प्रति परीक्षार्थी प्रति विषय रू. 200/- एवं रू. 200/- अतिरिक्त विलंब शुल्क सहित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन माह में।
 - (iii) उक्त तिथियों के बाद किसी भी स्थिति में सत्रांक संशोधन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

संशोधन हेतु शुल्क नकद राशि सहित सत्र 2020-21 में कराये गये शिक्षण कार्य/प्रोजेक्ट कार्य/गृह कार्य पुस्तिका के अभिलेख जिनके आधार पर सत्रांक का निर्धारण किया गया है, त्रुटि के सम्बन्ध में शाला प्रधान का स्पष्टीकरण, छात्र की बोर्ड द्वारा प्रदत्त मूल अंकतालिका, विद्यालयी परीक्षाओं हेतु आवंटित नामांक रजिस्टर व उपस्थिति रजिस्टर आदि मूल प्रलेख सहित प्रकरण शाला प्रतिनिधि द्वारा सीधे बोर्ड की गोपनीय शाखा में प्रस्तुत किये जाने पर आवश्यक सत्यापन के बाद ही अपेक्षित संशोधन करना सम्भव हो पायेगा। बोर्ड द्वारा शाला प्रतिनिधि को कोई यात्रा/दैनिक भत्ता आदि देय नहीं होगा।

5. सत्रांकों से संबंधित अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्रावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जाँच की जा सकती है। इसी संदर्भ में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक, शिक्षा विभाग प3(3) शिक्षा-6/08 दिनांक 19.11.2008 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर मॉनेटरिंग की जायेगी तथा मा.शि.बो. अजमेर द्वारा Random Sampling के आधार पर जाँचकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सम्पर्क सूत्र (कार्यालय समय) कार्य दिवस हेतु

(अ) बोर्ड परीक्षाओं/योजना आदि की जानकारी के लिये कार्यालय समय में दूरभाष संख्या **0145-2620739**

(ब) कम्प्यूटर/ऑनलाईन/तकनीकी जानकारी हेतु आई.टी. शाखा के दूरभाष संख्या **0145-2627454**

विशेष सूचना

ऑन लाईन प्रेषित सत्रांकों की हार्ड कॉपी बाबत

बोर्ड की सभी परीक्षाओं के ऑनलाईन भरे गये सत्रांकों की हार्ड कॉपी बोर्ड को नहीं भिजवानी है इसे शाला प्रधान विद्यालय रिकॉर्ड पर सुरक्षित रखे। बोर्ड को आवश्यकता होने पर मंगवाई जा सकती है।

निदेशक (गोपनीय)